

उत्तराखण्ड के UCC वधियक का वश्लेषण

यह एडिटरियल 26/02/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "A chilling effect on the freedom to love" लेख पर आधारित है। इसमें वश्लेषण किया गया है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता वधियक किस प्रकार सहमति से बने संबंधों को दंडित करने और व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करने के रूप में स्वतंत्रता, नजिता एवं समता के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है।

प्रलमिस के लयि:

[समान नागरिक संहिता \(UCC\), मूल अधिकार, राज्य के नीति नदिशक सदिधांत, वधिआयोग](#)।

मेन्स के लयि:

समान नागरिक संहिता का महत्त्व और इसके कार्यान्वयन में चुनौतयिँ।

उत्तराखण्ड **वधिानसभा** द्वारा पारित **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC)** वधियक, 2024 वविह एवं संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में कानूनों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखता है। इस वधियक के प्रवर्तनीय कानून में परणित होने के लयि बस **राष्ट्रपति** की मंजूरी की प्रतीक्षा रह गई है। हालाँकि, वधियक में एक चतिाजनक बात 'लवि-इन रलेशनशिप' के अनविर्य पंजीकरण को लेकर है, जहाँ यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें अपराध घोषित किया जा सकता है। यह कदम न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करता है बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को वनियमित करने में राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठाता है।

समान नागरिक संहिता (UCC):

परचिय:

- UCC का उल्लेख संवधिान के **अनुच्छेद 44** में राज्य की नीति के नदिशक तत्व (DPSP) के एक हसिसे के रूप में किया गया है, जहाँ कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लयि समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
- हालाँकि, संवधिान नरिमाताओं ने UCC को लागू करना सरकार के वविक पर छोड़ दिया।
- गोवा UCC रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुर्तगाली सविलि संहिता 1867 का पालन करता है।

UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामला (1985):** न्यायालय ने टपिणी की कि "यह खेद का वषिय है कि अनुच्छेद 44 एक 'डेड लेटर' (नषिप्रभावी) बना रहा है" और उसने इसके परपालन का आह्वान किया।
 - सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) और जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ (2003) जैसे अन्य मामलों में भी इसकी मांग दुहराई गई।

- जोस पाउलो कॉटनिहो बनाम मारया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा मामला (2019):** न्यायालय ने गोवा की एक "शानदार उदाहरण" के रूप में सराहना की, जहाँ "समान नागरिक संहिता, कुछ सीमति अधिकारों की रक्षा को छोड़कर, धर्म पर वचिर कयि बना सभी पर लागू होती है" और तदनुसार इसके अखलि भारतीय कार्यान्वयन का आग्रह किया।

वधिआयोग का रुख:

- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सहि चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें वधिआयोग ने वर्ष 2018 में 'पारविरिक कानून में सुधार' पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने मत प्रकट किया कि "अभी समान नागरिक संहिता का नरिमाण करना न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय।"

वधियक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लयि कयों भेजा गया?

वषिय-वस्तु की अस्पष्ट प्रकृति:

- भारतीय संवधिान** का **अनुच्छेद 162** इंगति करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक वसितुत है जिनके संबंध में राज्य वधिानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है।
- सातवीं अनुसूची** की समवर्ती सूची की प्रवषिटि 5 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, समान नागरिक संहिता को लाने और लागू करने के लयि

एक समिति के गठन को अधिकारातीत (ultra vires) के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- समवर्ती सूची की प्रवर्षि 5 "वविह एवं तलाक; शशु एवं अवयस्क; दत्तक ग्रहण; वसीयत (Will), नरिवसीयतता एवं उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार एवं उसका वभिजन; वे सभी वषिय जनिके संबंध में न्यायकि कार्यवाहियों में पक्षकार इस संवधिान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय (व्यक्तगत)वधिके अधीन थे" से संबंधति है।

■ वधियक को आरक्षति रखने की राज्यपाल की शकतः

- राज्यपाल कसिी वधियक को राष्ट्रपति के वचिरारथ आरक्षति रख सकते हैं। यह आरक्षण उस स्थति में अनविर्य है जहाँ राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति वधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थतिको खतरे में डालता है। हालाँकि, राज्यपाल कसिी वधियक को तब भी आरक्षति कर सकता है जब वे नमिनलखिति प्रकृति के हों:
- संवधिान के उपबंधों के वरिद्ध
- राज्य की नीति के नदिशक तत्व के वरिद्ध
- देश के व्यापक हति के वरिद्ध
- वे गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व रखते हों
- संवधिान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्तिके अनविर्य अधग्रहण से संबंधति हो।
 - उत्तराखंड का UCC वधियक कई राष्ट्रीय कानूनों- जैसे किवशिष वविह अधनियम 1954, हद्वि वविह अधनियम 1955, शरीयत अधनियम 1937 आदिका अधशिहण (ओवरराइड) करता है और इसलयि इसे लागू कयि जाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लयि भेजा गया है।

उत्तराखंड के UCC वधियक 2024 की मुख्य बातें

■ परचियः

- UCC संवधिान के अनुच्छेद 44 से प्रेरति है और वविह, तलाक, दत्तक ग्रहण एवं उत्तराधिकार पर ध्यान केंद्रति करते हुए प्रत्येक धर्म के अलग-अलग व्यक्तगत कानूनों को प्रतस्थिापति करने का लक्ष्य रखता है। यह संहति व्यक्तगत कानूनों का एकल समुच्चय होगी जो धर्म पर वचिर कयि बनिा सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होगी।
- समति द्वारा प्रस्तुत कयि गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में बहुवविह (polygamy), नकिह हलाला, इददत (मुस्लिम वविह के वघिटन के बाद महलाओं द्वारा पालन की जाने वाली एक अनविर्य अवधि), तीन तलाक आदिपर प्रतबिंध लगाना, सभी धर्मों में बालकिाओं के वविह के लयि एक समान आयु घोषति करना और 'लवि-इन रलेशनशिप' का अनविर्य पंजीकरण कराना शामिल है।

■ महत्त्वः

- UCC वधियक 2024 का उद्देश्य उत्तराधिकार एवं वविह जैसे मामलों में पुरुषों और महलाओं के प्रतसमान व्यवहार रखते हुए लैंगकि समानता पर ध्यान केंद्रति करना है।
- यह संहति मुस्लिम महलाओं को मुस्लिम व्यक्तगत कानूनों के तहत प्रदत्त मौजूदा 25% हसिसेदारी के मुकाबले समान संपत्तिहसिसेदारी का भी वसितार कर सकती है।

■ छूटः

- **अनुसूचति जनजातियों (ST)** को इस वधियक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड की जनजातीय आबादी (जो कुल आबादी की लगभग 3% है) उन्हें प्राप्त वशिष दरजे के मद्देनजर UCC के वरिद्ध अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।

■ संबद्ध चतिाएँः

- वविह की न्यूनतम आयु पूर्ववत रहेगी, यानी महलाओं के लयि 18 वर्ष और पुरुषों के लयि 21 वर्ष।
- 'लवि-इन रलेशनशिप' का अनविर्य पंजीकरण और कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर इसे अपराध घोषति करना, वधियक में मौजूद वविदास्पद वषियों में से एक है।
- इस नरिदेश के साथ, प्रस्तावति कानून राज्य को सहमति से बने संबंधों को दंडति करने और व्यक्तगत स्वायत्तता का उल्लंघन करने की असंगत शकृति प्रदान कर देगा।

/// ₹10K FINE IF MARRIAGE NOT REGISTERED

<ul style="list-style-type: none">> Minimum marriage age 18 yrs for women, 21 yrs for men. Up to 6 months jail and/or ₹25,000 fine for breach> Mandatory registration within 60 days or ₹10,000 fine for marriages solemnised after UCC implementation> Dissolution of marriage in contravention of UCC norms to be punishable with up to 3 years in jail> Polygamy, bigamy prohibited. Halala, iddat, triple talaq banned> Up to 3 years in jail and/or	<ul style="list-style-type: none">₹50,000 fine for violating norms> Live-in couples to register within a month of relationship. Details to be verified by registrar who can conduct inquiry to establish validity of relationship> Cannot rent or buy property without registration> Child born of relationship will be considered legitimate> Must inform officials on termination of relationship> Woman deserted by partner entitled to maintenance
--	---

सहमति से बने संबंधों को वनियमिति करने से संबद्ध क्या चिताएं हैं?

■ रजसिट्टरारों को प्राप्त अधिभावी शक्तियाँ:

- वधियक में 'लवि-इन पार्टनरस' के लिये संबधति रजसिट्टरार के पास एक बयान या स्टेटमेंट दर्ज कराने की आवश्यकता रखी गई है। रजसिट्टरार के पास इस बयान की जाँच करने और संबध के बारे में पूछताछ करने की शक्तियाँ हैं।
- इसके अलावा, 'लवि-इन पार्टनरस' को व्यक्तगित रूप से उपस्थिति होने की आवश्यकता हो सकती है और रजसिट्टरार इस संबध को पंजीकृत करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसे कसिी संबध के समापन के लिये 'नोटसि' देना भी आवश्यक है।

■ आपराधकि दंड आरोपति करना:

- वधियक की एक और अवांछति वशिषता है इसमें आपराधकि दंड—कारावास या जुरमाना (या दोनों) की व्यवस्था, जो बयान दर्ज नहीं करने की स्थिति में आरोपति कयिा जा सकता है।
- गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिये लवि-इन युगल को दंडति कयिा जाएगा। रजसिट्टरार ऐसे लवि-इन संबधों के वविरण संबध क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलसि स्टेशन को सौपेगा।

■ व्यक्तगित स्वायत्तता का उल्लंघन:

- वधियक 'लवि-इन रलैशनशिपि' के मूलभूत कारण को नज़रअंदाज़ करता है, जो यह है कि इसमें वविाह की औपचारकि संरचना एवं दायतिवों का अभाव होता है। इसलिये, लवि-इन संबध में शामिल लोग अपने सहमत संबध में स्वायत्तता का उपभोग करते हैं, जैसा एक वनियमिति वविाह में नहीं होता है। इन दोनों संस्थाओं (वविाह एवं लवि-इन) के बीच इस अति-आवश्यक अंतर को वल्लिपति करना न्यायसंगत नहीं है।

■ अत्यधकि 'मोरल पुलसिगि':

- एक ऐसे समाज में जो पहले से ही युवा जोड़ों की 'मोरल पुलसिगि' करता रहा है, इस वधियक के प्रावधान 'लवि-इन पार्टनरस' के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे संबधों को हतोत्साहति कर सकते हैं।
- मामले में पुलसि की संलग्नता इस चिता को और बढ़ा देती है। इससे युगल वास्तवकि संबधों में प्रवेश करने के प्रति संकोच या सतर्कता रखेंगे क्योंकि अनुपालन की कमी न केवल नागरकि परिणामों को बल्कि आपराधकि परिणामों को भी (जैसा कि नयिमिक कानूनों की नयिमिति आवश्यकता होती है) आमंत्रति करती है।

■ गरमिमय जीवन के अधिकार का उल्लंघन:

- एक माह की समय-सीमा (जहाँ कहा गया है कि जो कोई भी बयान दर्ज कराये बना ऐसे संबध में प्रवेश करने की तथिसे एक माह से अधकि समय तक लवि-इन रलैशनशिपि में रहेगा, उसे दंडति कयिा जाएगा) भी प्रत्यक्षतम तरीकों से अंतरंगता को नषिदिध करने का एक प्रयास है। यह गरमिमय जीवन के अधिकार पर बल देने वाले अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षति स्वतंत्र नरिणय लेने और भावनाओं की अभवियक्ति करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- वधियक के प्रावधानों द्वारा व्यक्तियों को 'लवि-इन रलैशनशिपि' में प्रवेश करने से नषिदिध कयिा जाता है, जो गहनतम व्यक्तगित वकिलूप चुनने की क्षमता में बाधाकारी है।

सहमति से बने संबंधों को वनियमिति करते समय कनि बातों का ध्यान रखना चाहयि?

■ संवधिन के अनुरूप स्पष्ट नीति अपनाना:

- एक लोकतांत्रकि उदार राज्य के पास इस संबध में स्पष्ट नीति होनी चाहयि कि वह कसि वषिय को अपराध घोषति करना चाहता है और कसि नहीं। यह नीति संवधिन द्वारा संरक्षति वषियों के अनुरूप होनी चाहयि। यह तथय कि कुछ सामाजकि अभ्यास रूढविादी बहुमत द्वारा अवांछति हैं, इनके अपराधीकरण के लिये एक अपर्याप्त कारण ही हो सकता है।
- जैसा कि दारशनकि जोएल फीनबर्ग (Joel Feinberg) मानते हैं, "वास्तव में, कसिी व्यक्तियों के बारे में वह सब कुछ जसिके बारे में आपराधकि कानून को चिति होना चाहयि, उसकी नैतिकता में शामिल है। लेकिन कसिी व्यक्तियों की नैतिकता की हर बात कानून की चिता का वषिय नहीं होनी चाहयि।"

■ 'व्यभचार- यौन गोपनीयता के अधिकार' (Adultery- the Right to Sexual Privacy) पर सर्वोच्च न्यायालय के वचिरों का अनुसरण करना:

- व्यभचार पर कानून तत्कालीन भारतीय दंड संहति (IPC) की धारा 497 में शामिल था। यह कानून अपने तत्समय रूप में केवल पुरुषों को दंडति कर लकि के आधार पर भेदभाव करता था। लेकिन इस कानून की एक और उल्लेखनीय वशिषता यह थी कि यह सहमति से बने यौन संबधों को भी अपराध घोषति करता था।
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में, इस कानून को नरिस्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बलपूर्वक कहा कि "व्यभचार को अपराध मानना राज्य द्वारा वास्तवकि नजिी/व्यक्तगित क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा।"
 - इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यह राज्य का कार्य नहीं है कि व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करे जो स्वयं "उन व्यक्तियों की नजिता एवं आत्मनरिणय के संवैधानकि रूप से संरक्षति अधिकारों के दायरे में है।"

■ नजिता के अधिकार के सिद्धांतों का पालन:

- इसके अलावा, के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले (2017) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कयिा कि "राज्य द्वारा पवतिर 'प्रसनल स्पेस' का वनिाश, चाहे वह देह का हो या मन का, राज्य की मनमानी कार्रवाई के वरिद्ध गारंटी का उल्लंघन है। देहकि गोपनीयता कसिी व्यक्तियों को व्यक्तगित के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार प्रदान करती है।"

■ भेदभाव को रोकना और समावेशन को बढ़ावा देना:

- हमारे देश में अंतर-जातीय और अंतर-धार्मकि युगलों को अधिकारियों द्वारा गंभीर उत्पीड़न और सामाजकि कलंक का सामना करना पड़ता है। आँकड़ों से पता चलता है कि ये युगल प्रायः हसिा का अनुभव करते हैं, जसिमें 'ऑनर कलिगि' भी शामिल है।
- लवि-इन संबधों पर उच्च नयिमिक प्रावधान वाला प्रस्तावति कानून सबसे पहले भेदय या संवेदनशील युगलों को प्रभावति करेगा। वधियक के प्रावधान समस्या को कम करने के बजाय और अधकि बढ़ाएँगे। राज्यों को अपनी जनसंख्या की शारीरकि अखंडता का समर्थन करने के लिये एक समावेशी वनियमिन अपनाना चाहयि।

■ विवाह के अधिकार को समझना, जो जीवन का अभिन्न अंग है:

- व्यक्तियों के पास अपना जीवन साथी चुनने का अंतरनहित अधिकार है और न तो राज्य या समाज के पास, न ही व्यक्तियों के माता-पिता के पास इस अधिकार में हस्तक्षेप करने या इसे प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार होना चाहिये जब यह 'दो सहमत वयस्कों' से संबंधित हो।
- विवाह का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता का विषय है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार न केवल मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में रेखांकित किया गया है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न पहलू भी है जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

■ अपनी देह पर महिलाओं की स्वायत्तता का सम्मान करना:

- आधुनिक समाज नजिता के अधिकार के एक अंग के रूप में अपनी देह और यौनिकता (sexuality) पर महिलाओं की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, जिसमें महिलाओं का रात्रिकालीन कार्य करने का अधिकार, प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा, दैहिक अखंडता का अधिकार, अवैवाहिक माताओं के अधिकार, जबरन वध्याकरण के विरुद्ध अधिकार और विवाह, संतानोत्पत्ति एवं पारिवारिक जीवन के चुनाव पर नरिण्य लेने का अधिकार शामिल हैं।
- ये किसी के सबसे अंतरंग एवं व्यक्तिगत विकल्पों के मामले हैं और 'खुशी की तलाश' (pursuit of happiness) में आवश्यक हैं, जो स्वायत्तता एवं गरिमा पर आधारित हैं।

■ नजिता के अधिकार का कर्षतजि अनुप्रयोग सुनिश्चित करना:

- यह गैर-राज्य अभिकर्ताओं के विरुद्ध अधिकार की सुरक्षा को संदर्भित करता है, जहाँ यह माना जाता है कि इस बात के वनियमन की आवश्यकता है कि गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सूचना का कसि प्रकार संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उपयोग किया जा सकता है।
- यह मानता है कि नजिता/गोपनीयता व्यक्ति को राज्य एवं गैर-राज्य दोनों तत्वों के हस्तक्षेप से बचाती है और व्यक्तियों को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति देती है।

■ अनुपातकित्ता परीक्षण को शामिल करना:

- अनुपातकित्ता परीक्षण (Proportionality Test), जैसा कि सर्ववदिति है, में चार चरण शामिल होते हैं: वैध लक्ष्य (legitimate goal), तर्कसंगत संबंध (rational connection), आवश्यकता (necessity) (यानी न्यूनतम प्रतिबंधात्मक एवं प्रभावी उपाय) और संतुलन-नरिमाण (balancing)।
- ऐसे वनियमों को प्रभाव में लाने से पहले उन्हें इन सदिधांतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिये।

नषिकर्ष

उत्तराखंड के समान नागरिकि संहतिा वधियक 2024 द्वारा नरिधारित लवि-इन संबंधों का अनविर्य पंजीकरण और संभावित अपराधीकरण व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। विवाह और लवि-इन संबंधों के बीच के अंतर को मटाने के रूप में यह वधियक लवि-इन संबंधों की अनूठी प्रकृति को पहचानने में वफिल रहता है। यह कदम न केवल युगलों के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकता है बल्कि उनकी नजिता एवं पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यह आवश्यक है कि एक लोकतांत्रिक समाज व्यक्तिगत संबंधों पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के बजाय स्वायत्तता, नजिता एवं समानता के सदिधांतों को अकषुण बनाये रखे।

अभ्यास प्रश्न: व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक गतिशीलता पर समान नागरिकि संहतिा (UCC) के संभावित प्रभाव पर वचिर करते हुए व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं नजिता के लिये इसके नहितारथों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापति राज्य की नीति के नदिशक तत्त्वों के अंतरगत नमिनलखिति प्रावधानों पर वचिर कीजिये: (2012)

1. भारतीय नागरिकों के लिये समान नागरिकि (सविलि) संहतिा सुरक्षति करना
2. ग्राम पंचायतों को संघटित करना
3. ग्रामीण कषेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
4. सभी श्रमिकों के लिये उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षति करना

उपर्युक्त में से कौन-से गांधीवादी सदिधांत हैं, जो राज्य की नीति के नदिशक तत्त्वों में प्रतिबिबित होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून को लागू करने के मामले में कोई वधिन, जो कसि कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनरिदेशति एवं अनरिंतरति वविकाधिकार देता है, भारत के संविधान के नमिनलखिति अनुच्छेदों में से कसिका उल्लंघन करता है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. चरचा कीजिये कवि कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिये समान सविलि संहतिा को अभनियिमति करने से रोकते हैं। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/analysing-uttarakhand-s-ucc-bill>

